न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 2904–दो/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 20–06–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 216/निग./2011–12

1– महावली सिंह तनय स्व. कल्लू सिंह चौहान
2– शकुंतला देवी पत्नी महावली सिंह चौहान
पुत्री श्री मालिक सिंह
दोनों निवासी ग्राम करहिया तह. गोपदबनास
जिला सीधी म.प्र. ...... आवेदकगण

विरुद्ध

1– म.प्र. शासन
2– नरहरि सिंह तनय श्री दशरथ सिंह चौहान
निवासी ग्राम करहिया तह. गोपदबनास
जिला सीधी म.प्र. ...... अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद त्रिपाठी
अनावेदक क्र. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह

आदेश
(आज दिनांक 16-09-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 216/निग0/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20-06-2013 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार द्वारा बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 106 अ–76/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 26–6–96 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकों का नाम अभिलेख में

के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 2 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जिसमें उन्होंने दिनांक 14-12-09 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की एवं नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अनावेदक क. 2 को हितबद्ध पक्षकार के रूप में संयोजित कर प्रकण में पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत पुनः गुणदोष पर आदेश पारित करें । इस आदेश [illegible] आवेदकों ने अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31.12.11 द्वारा समयावधि बाह्य होने के आधार पर निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि अपर कलेक्टर ने उनकी निगरानी को समयसीमा के बिंदु पर निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया है कि उन्होंने विलंब के संबंध में चिकित्सीय प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया था जिसे अनदेखा किया गया है । अपर आयुक्त ने भी [illegible] आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है ।

4- अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण विलंब के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय [illegible] समाधानकारक स्पष्टीकरण न होने के कारण पुनरीक्षण को निरस्त किया है । [illegible] किए जाने के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने विलंब के संबंध में न्यायिक अधिकारों का [illegible] नहीं [illegible] ऐसा कोई प्रमाण आवेदकों की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है [illegible] उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण करने हेतु [illegible] विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने [illegible]

समुचित अवसर उपलब्ध है [illegible] दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण [illegible] आयुक्त [illegible] आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं [illegible]

परिणामतः अपर आयुक्त [illegible] आदेश [illegible] रखा [illegible] निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर